



PT. G.B. PANT HIGH ALTITUDE  
NAINITAL ZOO

# कार्यालय निदेशक, जी०बी० पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल

Website:- [www.nainitalzoo.org.in](http://www.nainitalzoo.org.in) E-mail:- [nainitalzook@gmail.com](mailto:nainitalzook@gmail.com) Ph:- [05942-237927](tel:05942-237927)

पत्रांक

425 / 2-जू (टैण्डर)

दिनांक

09 / 04 / 2021

## नैनीताल प्राणी उद्यान एवं हिमालयन बोटेनिकल गार्डन में सुरक्षा कार्य करने हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

1. निविदा जमा करने के अन्तिम तिथि व समय:- दिनांक 19.04.2021 दोपहर 02:00 बजे तक।
2. निविदा खोलने की तिथि व समय :- दिनांक 19.04.2021 दोपहर 2:30 बजे।
3. निविदा जमा करने का स्थान:- कार्यालय, निदेशक, जी०बी० पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल-263002, उत्तराखण्ड।
4. सुरक्षाकर्मियों का कार्य स्थल:- 4.1. चयनित सुरक्षाकर्मियों के ठेकेदार/संस्था/एजेन्सी को सुरक्षाकर्मियों को निम्न स्थलों हेतु उपस्थित कराना होगा।

क्र०सं०	कार्य स्थल का विवरण	कार्य का समय
1.	नैनीताल प्राणी उद्यान/हिमालयन बोटेनिकल गार्डन	24 घण्टे

5. सुरक्षा कार्य हेतु तैनाती:- चयनित सुरक्षाकर्मियों के ठेकेदार/संस्था/एजेन्सी को प्राणी उद्यान, नैनीताल/हिमालयन बोटेनिकल गार्डन के सुरक्षा कार्य में समन्वयन कर नियंत्रित करने हेतु 11 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी अनिवार्य है। सुरक्षाकर्मियों के ठेकेदार/संस्था/एजेन्सी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मियों को अनुशासित रखने कि जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
6. सुरक्षा कार्य ठेके की अवधि:- सुरक्षा कार्य के ठेके कि अवधि दिनांक 01.05.2021 से 30.04.2022 तक रहेगी। जिसकी अवधि आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
7. अर्हता कि शर्तें:-
  - 7.1. ठेकेदार को किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
  - 7.2. प्रत्येक ठेकेदार के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN होना चाहिए। बिना PAN का ठेका मान्य नहीं होगा। PAN की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - 7.3. ठेकेदार किसी भी सरकारी विभाग द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
  - 7.4. एक निविदादाता मात्र एक ही निविदा ही डाल सकेगा।
  - 7.5. निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर ऐसी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. अर्नेस्टमनी डिपोजिट (EMD):- निविदादाता द्वारा टेण्डर फार्म/आवेदन के साथ रू० 40,000.00 (रू० चालीस हजार मात्र) धनराशि का टी०डी०आर०/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन.एस.सी.) जो "निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान" के नाम से हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। निविदादाता की पूर्व में प्राणी उद्यान में जमा जमानत राशि मान्य होगी।
9. चयनित सुरक्षाकर्मियों के ठेकेदार के दायित्व:-
  - 9.1. ठेकेदार द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मियों को अनुशासित रखना होगा। समस्त सुरक्षा कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा सत्यापित कर प्राणी उद्यान, नैनीताल प्रबन्धन को उपलब्ध कराना होगा।
  - 9.2. सुरक्षाकर्मियों के ठेकेदार द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा।
  - 9.3. चयनित सुरक्षाकर्मियों के ठेकेदार को सुरक्षा कर्मियों को यूनिफॉर्म, नेमप्लेट एवं जूते देना अनिवार्य होगा, तथा प्रतिदिन प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों को सम्पूर्ण में वर्दी में रहना होगा, एवं प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों को पूर्ण रूप से

अनुशासित रहना होगा। अनुशासनहीनता पर सुरक्षा कर्मी को कार्य हटाने का अधिकार प्राणी उद्यान, नैनीताल प्रबन्धन को होगा। जिस पर सम्बन्धित ठेकेदार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- 9.4. चयनित सुरक्षाकर्मी ठेकेदार द्वारा वर्तमान में प्रचलित सम्बन्धित समस्त नियमों / अधिनियमों का अनुपालन करना होगा, और निदेशक, प्राणी उद्यान, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
- 9.5. चयनित सुरक्षाकर्मी ठेकेदार पर तीसरे पक्ष द्वारा योजित मुकदमें या अन्य मामलों में प्राणी उद्यान, नैनीताल प्रबन्धन जिम्मेदार नहीं रहेगा।
- 9.6. चयनित सुरक्षाकर्मी ठेकेदार प्राणी उद्यान, नैनीताल कि पूर्वानुमति के बिना सुरक्षाकर्मी के सम्पूर्ण कार्य या सुरक्षाकर्मी के कार्य को किसी अन्य ठेकेदार / संस्था को सबलेट नहीं करेगा।
- 9.7. प्राणी उद्यान में कार्य करते समय यदि ठेकेदार या उसके सुरक्षाकर्मी के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, तो प्राणी उद्यान प्रबन्धन किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/मुआवजे के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- 9.8. सभी सुरक्षाकर्मियों को निदेशक, प्राणी उद्यान, नैनीताल तथा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
- 9.9. सभी दरें सभी प्रकार के कर, सेवाकर आदि सहित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर देय फण्ड इत्यादि सहित देय होगी। उक्त पर किसी भी विवाद के लिए कोई भी तर्क निविदादाता का मान्य नहीं होगा।
- 9.10. सभी कर्मियों हेतु दरों का पूर्ण विवरण (ब्रेकअप) कर कटौती, फण्ड ई0एस0आई0 आदि दिया जाना आवश्यक है।
- 9.11. निविदादाता का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं आयकर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होगा।
- 9.12. आयकर एवं अन्य सरकारी करों की नियमावली के अनुसार कटौती करने का अधिकार प्राणी उद्यान, नैनीताल को होगा।
- 9.13. सफल निविदादाता को रू0 100.00 (एक सौ) मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध में निविदा की शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा होंगी।

#### 10. टेण्डर जमा करना:—

- 10.1. निविदा प्रपत्र, निदेशक कार्यालय, जी0बी0 पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल से दिनांक 18.04.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राणी उद्यान की वेबसाईड [www.nainitalzoo.org.in](http://www.nainitalzoo.org.in) पर भी उपलब्ध है। निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट से डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1000.00 + 18% GST = 1180.00 मात्र (रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) (Nonrefundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट को निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान के नाम पर निरूपित करना होगा।
- 10.2. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा प्रपत्र की धनराशि व अर्नेस्टमनी की धनराशि डिपोजिट (EMD) करना आवश्यक है।
- 10.3. निविदादाता द्वारा बन्द लिफाफे में निविदा को निदेशक कार्यालय, जी0बी0 पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल में स्थित निविदा पेटिका में दिनांक 19.04.2021 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।
- 10.4. निविदा दाता को समस्त आवश्यक संलग्नक यथा अर्नेस्टमनी (टी0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट/NSC), निविदा शुल्क का ड्राफ्ट, PAN की छायाप्रति, काली सूची में दर्ज न होने का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र एवं GST पंजीकरण संख्या की प्रति को लिफाफे 'A' में एवं निविदा दरें द्वितीय लिफाफे 'B' में अलग-अलग रख कर दोनों लिफाफों को लिफाफे 'C' में एक साथ रखकर प्रस्तुत करें।
- 10.5. निविदादाता द्वारा बन्द लिफाफे के ऊपर "प्राणी उद्यान, नैनीताल/हिमालयन बोटैनिकल गार्डन में सुरक्षा कार्य करने हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।
- 10.6. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 19.04.2021 को दोपहर 2:30 बजे निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

- 10.7.निर्धारित समय व तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदायें निरस्त समझी जायेगी व किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 10.8.निविदादाता द्वारा "सशर्त" निविदा को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- 10.9.इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि निविदा जमा करने से पूर्व सुरक्षाकर्मी कार्य स्थल, इससे सम्बन्धित मुद्दों को भलिभाँति समझ लें। इच्छुक निविदादाता को सुरक्षाकर्मी कार्य से सम्बन्धित कोई शंका/प्रश्न है तो वे लिखित रूप में निदेशक कार्यालय, नैनीताल प्राणी उद्यान से दिनांक 18.04.2021 तक शंका निवारण कर सकते हैं।
11. **ड्यूटी दिवस:-** चयनित सुरक्षाकर्मी ठेकेदार प्राणी उद्यान, नैनीताल को प्रतिदिन 24 घण्टे नियमित रूप से अपने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करायेगा।
12. **कार्य की जमानत (Performance Security):-**
- 12.1.निविदादाता को जमानत के रूप में धनराशि ₹0 40,000.00 (चालीस हजार) मात्र को निविदा के साथ संलग्न कर निदेशक कार्यालय में कार्य की जमानत (Performance security) के रूप में जमा करनी होगी।
- 12.2.कार्य की जमानत (Performance security) को टी0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन.एस.सी.)के रूप में जमा करना होगा जो "निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान" के कार्यालय में निरूपित होगी।
- 12.3.ठेका समाप्त होने के उपरान्त उक्त कार्य की जमानत (Performance security) को ठेकेदार को वापस की जायेगी। जो निविदा शर्तों से आच्छादित रहेगी।
- 12.4.ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन कि दशा में प्राणी उद्यान प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि यह ठेकेदार द्वारा जमा कार्य की जमानत (Performance security) की धनराशि या पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर सकेगा।
13. **सुरक्षा कार्य का भुगतान:-** चयनित सुरक्षाकर्मी ठेकेदार को सुरक्षा कार्य का भुगतान मासिक रूप से होगा। भुगतान से पूर्ण ठेकेदार या उसके सुपरवाइजर को सुरक्षाकर्मियों कि मासिक उपस्थिति पंजिका को प्राणी उद्यान, नैनीताल प्रबन्धन सत्यापित करेगा। सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति कि दशा में प्रति व्यक्ति देय धनराशि की प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।
14. **अर्थदण्ड:-** सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन होना नितान्त आवश्यक है। लगातार 03 दिन सुरक्षाकर्मी न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है व जमानत जब्त की जा सकती है।
15. **दरों की अवधि:-** चयनित निविदादाता द्वारा स्वीकृत सुरक्षा कार्य की दरें 30.04.2022 तक मान्य रहेगी। सुरक्षा कार्य व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने पर उन्हीं दरों पर एक-एक वर्ष करके टैण्डर को अधिकतम 03 वर्ष के लिए बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
16. **टी0डी0एस0 एवं अन्य सरकारी:-** टी0डी0एस0 व अन्य वसूली नियमानुसार समय-समय पर जारी शासनादेश/आदेश से आच्छादित रहेगी।
17. टैण्डर को बिना कारण बतायें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, प्राणी उद्यान, नैनीताल को होगा।
18. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न संलग्नक प्रेषित करने होंगे:-
1. अर्नेस्टमनी डिपोजिट (₹0 40,000.00) का टी.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट/ एन.एस.सी./प्राणी उद्यान, नैनीताल में पूर्व में जमा जमानत की राशि विवरण।
  2. निविदा शुल्क ₹0 1000.00 +18% GST = 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट (इन्टरनेट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में )
  3. सभी दरें सभी प्रकार के कर, सेवाकर आदि सहित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर देय फण्ड इत्यादि सहित संलग्न परिशिष्ट में होनी चाहिए।
  4. पैन कार्ड की छाया प्रति।
  5. किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न होने का घोषणा पत्र।
  6. किसी भी सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।

7. जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति।
8. श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

संलग्नक:- प्रपत्र।

भवदीय

निदेशक  
जी0बी0 पन्त  
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान  
नैनीताल

पत्रांक \_\_\_\_\_ / -जू तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल, भीमताल।
6. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
8. वन क्षेत्राधिकारी, 'जू' को बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

निदेशक  
जी0बी0 पन्त  
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान  
नैनीताल

## परिशिष्ट

कुल मासिक मजदूरी का विवरण 30 दिन							
क्र० सं०	सेवाकर्मी विवरण	न्यूनतम मजदूरी दर	ई०पी०एफ०	ई०एस०आई०	सर्विस चार्ज	सर्विस टैक्स / जी०एस०टी०	योग
1.	सुरक्षा कर्मी						

1. फर्म के पास उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत प्राईवेट सिक्योरिटी चलाने हेतु (पसारा लाईसेन्स) होना अनिवार्य है।

एजेन्सी का नाम व पता हस्ताक्षर  
एवं एजेन्सी की सील सहित